छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर
Email id-henv.cg@nic.in

क्रमांक एफ 3–04/2020/32 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 31/12/2020

प्रति,

1. आयुक्त,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल,
पर्यावास भवन,
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग)

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
रायपुर विकास प्राधिकरण,
रायपुर छ.ग.

विषयः– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण को आबंटित शासकीय भूमि पर आवासीय एवं आवासीय/व्यवसायिक योजना में शामिल व्यवसायिक सम्पत्ति को फ्री–होल्ड में संपरिवर्तन के संबंध में।

संदर्भ :– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का **ज्ञापन क्रमांक 9161/सं.प्र.शा./अ.आ./मुख्या./2020 दिनांक 11.11.2020** एवं रायपुर विकास प्राधिकरण का ज्ञापन क्रमांक 7276 दिनांक 10.11.2020।

––––00––––

कृपया संदर्भित ज्ञापनों का अवलोकन हो। मंत्रि–परिषद् आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 में संक्षेपिका के पैरा–6 के अनुसार विभाग का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा इससे संबंधित समस्त अनुषांगिक कार्यवाही करने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया है। मंत्री परिषद संक्षेपिका की छायाप्रति संलग्न है। मंत्रि परिषद द्वारा लिये गए निर्णय निम्नानुसार हैः–

(1) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा पट्टे पर आबंटित वाणिज्यिक भू–खण्डों/भवनों को फ्री–होल्ड करने की अनुमति आदेश क्रमांक एफ 1–100/2009/32 दिनांक 30–12–2011 में निहित शर्तों पर दी जावे।
(2) आवासीय एवं वाणिज्यिक भू–खण्डों/भवनों को फ्री–होल्ड के रूप में परिवर्तित करने पर संपरिवर्तन प्रभार प्रचलित बाजार मूल्य का 02 प्रतिशत निर्धारित किये जायें इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा लीज नवीनीकरण की आगामी तारीख तक शेष लीज अवधि के लिये (अधिकतम 10 वर्षों की कालावधि तक सीमित) शेष अवधि के लिये भू–भाटक देय होगा ।
(3) 600 वर्गफीट अथवा उससे कम माप वाले आवासीय भू–खण्डों/भवनों (निर्मित क्षेत्र) के लिये भी उपरोक्तानुसार प्रस्तावित संपरिवर्तन प्रभार देय होगा ।
(4) फ्री–होल्ड करने हेतु विलेख निष्पादन एवं रजिस्ट्रीकरण हेतु नियमानुसार मुद्रांक शुल्क, पंजीयन व्यय इत्यादि पट्टेधारी द्वारा देय होगा ।
(5) लीज होल्ड का फ्री–होल्ड में संपरिवर्तन पट्टेधारी के लिये वैकल्पिक होगा ।

2/ आदेशानुसार कृपया नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(सी.तिर्की)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

AC/DC/CEO/CAO
/ADM.O/SO
COMMISSIONER
1-1-2021

D:\suresh barua 2020\LETTER.docx